



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122023-250540  
CG-DL-E-09122023-250540

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]  
No. 820]

नई दिल्ली, शक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2023

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 16 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं. (1)	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता (2)	प्रत्यायन का क्षेत्र (3)
"17.	कल्टीवेटर फाइटो लैब प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर पंजीकरण सं. 87/एन/एफएसएसएआई/2023 पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 24-31, 25-30, खसरा नंबर 135/1, सोनामुखी नगर, संगरिया फांटा, जोधपुर, राजस्थान	जैविक रासायनिक

18.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, चुरू पंजीकरण सं. 88/एन/एफएसएसएआई/2023 ए.एन.एम.टी.सी. केंद्र, चुरू, राजस्थान	रासायनिक";
-----	--	------------

(2) हरियाणा के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 20 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 9 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"10.	सीईएस एनालिटिकल एंड रिसर्च सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल पंजीकरण सं. 68/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2023 42, 48, दूरसंचार नगर, ई8 एक्सटेंशन, एरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश	जैविक रासायनिक
11.	पियस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर पंजीकरण सं. 69/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2023 113/1 बिजलपुर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश	जैविक रासायनिक";

(2) महाराष्ट्र के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 22 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

3. दक्षिण क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 19 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"20.	एसएमएस लैब्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु पंजीकरण सं. 84/एस/एफएसएसएआई/2023 नंबर 376, पहली और दूसरी मंजिल, टीएनआरटीएस, पहला मुख्य जगतज्योति लेआउट, नागदेवनहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक	जैविक रासायनिक";

(2) तमिलनाडु के नीचे, क्रम संख्या 27 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"28.	एनालिटिकल टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला, श्री गोमुकी टेक्स केम प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर पंजीकरण सं. 85/एस/एफएसएसएआई/2023 1/93, माइलमपट्टी पोस्ट, कोयंबटूर, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक";

(3) तेलंगाना के नीचे,

(क) क्रम संख्या 4 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"4.	टेंटामस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद पंजीकरण सं. 38/एस/एफएसएसआई/2016 #3-31/33, प्लॉट नं.:33/भाग, एसवाई. संख्या 123,124,125 और 142, कोमपल्ली, हैदराबाद-500014	जैविक रासायनिक";

(ख) क्रम संख्या 10 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"11.	केमटेक्स लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद पंजीकरण सं. 86/एस/एफएसएसआई/2023 दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 17 और 22, टेक पार्क रोड, रोड नंबर 12, हैदराबाद, मल्काजगिरी, तेलंगाना	जैविक रासायनिक"

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./602/2023-24]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई:

1. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;

13. का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
16. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022;
31. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022;
32. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2022;
33. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 सितंबर, 2022;

34. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022;
35. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2022;
36. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 दिसंबर, 2022;
37. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 28 दिसंबर, 2022;
38. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 मार्च, 2023; और
39. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2023।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2023

**F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under **Rajasthan**, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“17.	Cultivator Phyto Lab Private Limited, Jodhpur Reg. No. 87/N/FSSAI/2023 1 <sup>st</sup> Floor, Plot No. 24-31, 25-30, Khasra No. 135/1, Sonamukhi Nagar, Sangaria Fanta, Jodhpur, Rajasthan	Biological Chemical
18.	Public Health Laboratory, Churu Reg. No. 88/N/FSSAI/2023 A.N.M.T.C. Center, Churu, Rajasthan	Chemical”;

(2) under **Haryana**, at serial number 20, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under **Madhya Pradesh**, after serial number 9, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“10.	CES Analytical and Research Services India Private Limited, Bhopal Reg. No. 68/W/FSSAI/2023	Biological Chemical

	42, 48, Doorsanchar Nagar, E8 Extension, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh	
11.	Pious Laboratories Private Limited, Indore Reg. No. 69/W/FSSAI/2023 113/1 Bijalpur Road, Indore, Madhya Pradesh	Biological Chemical”;

(2) under *Maharashtra*, at serial number 22, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

3. In ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(1) under *Karnataka*, after serial number 19, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“20.	SMS Labs Services Pvt. Ltd., Bengaluru Reg. No. 84/S/FSSAI/2023 No. 376, 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> Floor, TNRTS, 1 <sup>st</sup> Main Jagatjyothi Layout, Nagadevanahalli, Bengaluru, Karnataka	Biological Chemical”;

(2) under *Tamil Nadu*, after serial number 27, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“28.	Analytical Technology Laboratory, Sri Gomuki Tex Chem Private Limited, Coimbatore Reg. No. 85/S/FSSAI/2023 1/93, Mylampatti Post, Coimbatore, Tamil Nadu	Biological Chemical”;

(3) under *Telangana*,

(a) for serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“4.	Tentamus India Private Limited, Hyderabad Reg. No. 38/S/FSSAI/2016 #3-31/33, Plot No.:33/Part, Sy. Nos. 123,124,125 &142, Kompally, Hyderabad-500014	Biological Chemical”;

(b) after serial number 10, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“11.	Chemtex Labs India Private Limited, Hyderabad Reg. No. 86/S/FSSAI/2023 2 <sup>nd</sup> Floor, Plot No. 17 & 22, Tech Park Road, Road No. 12, Hyderabad, Medchal Malkajgiri, Telangana	Biological Chemical”

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exy./602/2023-24]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S.O. number 567 (E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15<sup>th</sup> May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2017;

4. S.O. number 2316(E), dated the 24<sup>th</sup> July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29<sup>th</sup> September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22<sup>nd</sup> December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19<sup>th</sup> February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28<sup>th</sup> March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13<sup>th</sup> June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12<sup>th</sup> December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08<sup>th</sup> March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08<sup>th</sup> May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06<sup>th</sup> August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18<sup>th</sup> September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13<sup>th</sup> February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23<sup>rd</sup> July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04<sup>th</sup> December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12<sup>th</sup> January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10<sup>th</sup> February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10<sup>th</sup> March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02<sup>nd</sup> June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25<sup>th</sup> June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02<sup>nd</sup> September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08<sup>th</sup> October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27<sup>th</sup> October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31<sup>st</sup> January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24<sup>th</sup> March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29<sup>th</sup> April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022;
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7<sup>th</sup> July, 2022;
32. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29<sup>th</sup> July, 2022;
33. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13<sup>th</sup> September, 2022;
34. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 11<sup>th</sup> October, 2022;
35. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18<sup>th</sup> October, 2022;
36. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13<sup>th</sup> December, 2022;
37. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 28<sup>th</sup> December, 2022;
38. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 23<sup>rd</sup> March, 2023; and
39. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18<sup>th</sup> October, 2023.